

16 49 6

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक:- जविप्रा/लेखा(आर.सी.आर)/2014/डी-

463

दिनांक 28-11-14

कार्यालय आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर आयोजित किये जाने वाले कैम्पों में भूखण्डधारियों/आवेदकों द्वारा वर्तमान में लगभग समस्त राशि नकद जमा कराई जा रही है। इतनी अधिक नकद राशि का हैडलिंग जविप्रा के लिए अत्यन्त चुनौती पूर्ण एवं जोखिम पूर्ण है। अतएव नकद राशि जमा करने के साथ साथ डी डी/बैंकर चैक लेकर पट्टा जारी करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

जन सामान्य को अधिक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से आईसीआईसीआई बैंक की जविप्रा शाखा के अतिरिक्त निम्नांकित शाखाओं को भी जविप्रा की ओर से चालान के माध्यम से राशि स्वीकार करने हेतु अधिकृत किया जाता है:-

1. आईसीआईसीआई बैंक, बापू नगर, जयपुर।
2. आईसीआईसीआई बैंक, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर।
3. आईसीआईसीआई बैंक, विद्याधर नगर, जयपुर।
4. आईसीआईसीआई बैंक, वैशाली नगर, जयपुर।
5. आईसीआईसीआई बैंक, मानसरोवर, हीरा पथ, जयपुर।
6. आईसीआईसीआई बैंक, जौहरी बाजार, जयपुर।

(पवन अरोडा)
सचिव,

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव आयुक्त, जविप्रा, जयपुर
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर
3. निदेशक (वित्त) जविप्रा, जयपुर
4. समस्त अतिरिक्त आयुक्तजविप्रा, जयपुर
5. समस्त उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर
6. अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
7. विशेषाधिकारी (संसाधन एवं विकास)/उपनिदेशक (व्यय एवं बजट), जविप्रा, जयपुर
8. लेखाधिकारी (भुगतान)/लेखाधिकारी (आर सी आर), जविप्रा, जयपुर
9. शाखा प्रबन्धक, आईसीआईसीआई बैंक जविप्रा शाखा जयपुर।

(पवन अरोडा)
सचिव,